



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, पीठ-भोपाल

रा.अ.क्र.:-

/15

अपील - 696- PBP-16

1- हरचंद पिता फागू, जाति मेहरा,
उम्र 60 वर्ष निवासी-सेमझिरा, तहसील मुलताई,
जिला बैतूल म.प्र.।

अपीलार्थी

॥ बनाम ॥

- 1- राजू पिता लालजी मेहरा,
- 2- दीपक पिता लालजी मेहरा,
- 3- राजेश पिता लालजी मेहरा,
- 4- उर्मिलापिता लालजी मेहरा,
- 5- महेश पिता लालजी मेहरा,
- 6- निर्मला पिता लालजी मेहरा,
- 7- सेवन्ती बाई बेवा लालजी मेहरा,
सभी निवासी ग्राम गौठान तहसील जिला बैतूल म.प्र.।
- 8- नीता पिता देवचन्द मेहरा,
- 9- रामप्रसाद पिता देवचन्द मेहरा,
- 10- सरस्वती पिता देवचन्द मेहरा,
- 11- दुरुपति बेवा देवचन्द मेहरा,
सभी निवासी बजरंग मंदिर के पास एन.सी.डी.सी., सारनी जिला बैतूल म.प्र.।
- 12- कनलेश पिता ताराचन्द मेहरा,
- 13- पेश पिता ताराचन्द मेहरा,
- 14- दिनेश पिता ताराचन्द मेहरा,
- 15- गणेश पिता ताराचन्द मेहरा,
- 16- भाग्यंती बेवा ताराचन्द मेहरा,
सभी निवासी ग्राम सेमझिरा तहसील मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.।
- 17- फुल्लो पिता बारक्या मेहरा,
निवासी-ग्राम अम्बाडा तहसी आमला, जिला बैतूल म.प्र.।
निवासी-ग्राम दमुआ तहसील जुन्नारखेव, जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.।

प्रत्यार्थीगण

॥ अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता ॥

अपीलार्थी की ओर से विनय है :-

अपीलार्थी यह अपील अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, चर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 143/अपील/2014-15 प्रकरण हरचंद विरुद्ध राजू एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/12/2015 से दुखी होकर श्रीमान न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करना है।

निर्णय...2



(56)

R

A

हरचंदा 21 अ

696 पर 116

वे 22

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षक एवं अभियोगकों आदि के हस्ताक्षर
26.4.2016	<p>इशारेडक की इमेर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकृत उपम पेंकी में निरस्त किया जाता है।</p>	<p><i>(Signature)</i></p>

(Signature)

(Signature)